फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामस्वरूप बनाम तारा चन्द

T2

संख्या : 60/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय " चुनाव कार्य में व्यस्त " है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 7/5/24 को पेश हो।	
7/5/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रा०प० अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रा०प० अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा.पत्र संख्या –60 / 2021   प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –01.09.2021

रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान ।

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल सैनी
2. प्रहलाद पुत्र प्रभाती लाल सैनी
3. मदन पुत्र प्रभाती लाल सैनी
4. रामनारायण पुत्र प्रभाती लाल सैनी

   समस्त 01 लगायत 04 जाति माली निवासी – ग्राम–हाथोज, तहसील व जिला – जयपुर
5. लाडा देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी– ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 एल. टी. एक्ट 1955

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अशोक उपाध्याय – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 03 की ओर से
3. श्री पवन कुमार निठारवाल – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से

निर्णय दिनांक 07.05.2024

प्रकरण संख्या – 60/2021
[illegible] – रामस्वरूप बनाम ताराचन्द वगै0
निर्णय दिनाक – 07.05.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें ताराचन्द पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, प्रहलाद पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, मदन पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, रामनारायण पुत्र प्रभाती लाल सैनी हिस्सा 11/144, रामस्वरूप पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 4/9, लाडा देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जिस पर सभी पक्षकार अपने-अपने हिस्से अनुसार साधिकार काबिज काश्त है। प्रार्थी को हक व अधिकार हासिल है कि वादग्रस्त आराजी का माननीय न्यायालय श्रीमान से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवायें। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1433 रकबा 1.08 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर स्थित है में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, ना ही प्रार्थी को बेदखल करें, बिना विधिक विभाजन बेचान, हस्तांतरण नहीं करें, तथा पुख्ता निर्माण नही करें।

अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है की अप्रार्थी संख्या 05 को उत्तरी दिशा में स्थित आम रास्ते पर बाई मिट्स एण्ड बा[illegible] आधार पर विभाजन किये जाने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने-अपने हिस्से अनुसार शुरू से ही काबिज काश्त चले आ रहे है, एवं उनका विधिक विभाजन नही हुआ है जिस अनुसार पक्षकारान अपने हिस्से पर मौके पर काबिजानुसार काश्त है उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर दिया जाता है तो उत्तरदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

को कोई आपत्ति नही है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के अनुसार प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकता है क्योंकि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इस कारण से प्रथम दृष्ट्या वाद एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकते है यदि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 व 05 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस किये गये कथनों, पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् के मध्य बटवारें का सद्भाविक विवाद है, सभी पक्षकारान् सखातेदार है तथा सहखातेदारों की भूमि में सभी पक्षकारों के समान हित निहित होते है। तथा प्रार्थी यह भी साबित करने में असफल रहें कि प्रार्थी के किस हिस्सें को अप्रार्थीगण जबरन खाली / बेदखल करना चाहते है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:41:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
उपखण्ड जयपुर